पत्रसं०-स्था०-3(ख)/पदोन्नति विशेष ग्रेड-वा० चा०//25-26//3861 //राज्य कर

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर उत्तर प्रदेश

(स्था०अराज० अनुभाग)

लखनऊ:: दिनांक :: 07/11/ ,2025

-::आदेश::-

शासनादेश संख्या-493/11-3-14-125/03 दिनांक 23-05-2014 से प्रख्यापित उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग वाहन चालक संवर्ग पुर्नगठन नियमावली-2014 एवं उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग के शासनादेश संख्या 4/ 2022/ 13(4)2021/-का-1-2022 दिनांक 06-05-2022 में दिये गये प्राविधानुसार विभागीय पदोन्नति समिति के संस्तुति के आधार पर चयन वर्ष 2025-26 की राज्य कर विभाग में कार्यरत निम्नलिखित वाहन चालक ग्रेड-1 को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वाहन चालक विशेष ग्रेड (वेतन बैण्ड-2-9300-34800 सादृश्य ग्रेड वेतन 4600/-) के पद पर पदोन्नति प्रदान करते हुए अग्रिम आदेशों तक उन्हें वर्तमान तैनाती स्थान पर बनाये रखा जाता है:-

क्र०सं०	ज्ये०क्र०	कर्मचारी का नाम	पिता का नाम	वर्तमान तैनाती स्थल
1-	119	श्री राजेन्द्र कुमार	स्व० प्रेमपाल सिंह	नोयडा/ गौतमबुद्ध नगर
2-	196	श्री राजवीर सिंह	स्व० प्रेमपाल सिंह	नोयडा/ गौतमबुद्ध नगर
3-	202	श्री राजेन्द्र सिंह	श्री बच्ची सिंह	मुरादाबाद

1- सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को निर्देश दिये जाते है कि वह उपरोक्त पदोन्नत कर्मचारियों को पदोन्नति आदेश तामील कराते हुए वाहन चालक विशेष ग्रेड के पद पर कार्यभार ग्रहण करायें ।

2- सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी / सम्भागीय अधिकारी यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि उपर्युक्त पदोन्नत कार्मिकों में से किसी कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के अन्तर्गत आरोप पत्र / नोटिस निर्गत हो, सतर्कता जॉच /ई०ओ०डब्लू० जॉच चल रही हो तो ऐसे कार्मिकों पर यह पदोन्नति आदेश प्रभावी न मानते हुए उन्हें कार्यभार ग्रहण न कराए और अधोहस्ताक्षरी को तत्काल सूचित करें ।

3- वर्तमान में यदि कोई कर्मचारी स्तम्भ-5 में अंकित स्थान से स्थानान्तरित हो गया हो तो उसकी वर्तमानतैनाती का स्थान तद्नुसार संशोधित मानते हुए सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी अपने स्तर से सम्बन्धित कर्मचारी को इस पदोन्नति आदेश की प्रति तामील कराते हुए कार्यभार ग्रहण करायेगें और इसकी सूचना मुख्यालय को भी उपलब्ध करायेगें ।

ह/-

(सुनील कुमार वर्मा)

अपरआयुक्त (प्रशासन), राज्य कर,

मुख्यालय, लखनऊ ।

पृ०प.०सं० व दिनांक उक्त

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सम्बन्धित जोनल अपर आयुक्त ग्रेड-1 राज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

2- सम्बन्धित संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) राज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

3- संयुक्त आयुक्त (आई०टी०) राज्य कर,मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
4- सम्बन्धित उपायुक्त(प्रशा०)/ सहायक आयुक्त(ए)/ आहरण वितरण अधिकारी, राज्य कर उत्तर प्रदेश।
5- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6- सम्बन्धित कर्मचारी को नाम से ।
7- सम्बन्धित कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में चस्पा हेतु ।

Digitally signed by
SATYENDRA KUMAR
Date: 07-11-2025
16:28:05

उपायुक्त (स्था०अराज०), राज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ ।